लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 6 का आरंग से सराईपाली तक फोरलेन में उन्नयन करने ("Rehabilitation and upgrading to 4-lane with paved shoulders configuration of NH-6 from Aurang to Saraipali in the state of Chhattisgarh") के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु महासमुंद जिले के खंड के लिये दिनांक 16.09.2011 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

मे0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 6 का आरंग से सराईपाली तक महासमुंद जिले के खण्ड के लिये फोरलेन में उन्नयन करने ("Rehabilitation and upgrading to 4-lane with paved shoulders configuration of NH-6 from Aurang to Saraipali in the state of Chhattisgarh") के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराने बावत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया। दैनिक भास्कर (रायपुर संस्करण) एवं टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 16.09.2011 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे एन.एच.–53 के रेस्ट हॉऊस के पास, ग्राम सांकरा, तहसील पिथौरा, जिला महासमुंद में सुनवाई नियत की गई।

दिनांक 16.09.2011 को उद्योग की लोक सुनवाई अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद श्री एम.एल. घृतलहरे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्रीमति प्रियंका शुक्ला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सराईपाली, श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा, श्री मोटवानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महासमुंद, श्री आर.के. शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी तथा श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच सहित आस–पास के गांवों से आये हुये लगभग 200 ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गयें है, उनकी सूची **संलग्नक–1** अनुसार है

2. लोक सुनवाई के आरंभ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी दी गई।

3. अपर कलेक्टर रायपुर ने कहा कि परियोजना से संबंधित आपके जो भी मत है, जो भी आपत्तियां है या इससे संबंधित विचार है उसको आप यहां पर दर्ज करा सकते है। उपस्थित नागरिकों द्वारा व्यक्त किये गये मौखिक अथवा लिखित विचारों को लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण में संलग्न किया जायेगा। अगर परियोजना से संबंधित यदि आपकी कोई आपत्ति है, शिकायतें है वे हमारे द्वारा

कार्यवाही विवरण में दर्ज की जाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी तथा इसका निराकरण, निर्णय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। उन्होने बताया कि इस परियोजना के बारे में एन.एच.ए.आई. के अधिकारी प्रस्तुतीकरण देंगे। उनके द्वारा संपूर्ण परियोजना का विस्तृत विवरण दिया जावेगा।

तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि को परियोजना के संबंध में जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कंसल्टेंट श्री अरसद शेख द्वारा परियोजना के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में डी.बी.एफ.ओ.टी. अन्तर्गत एन.एच. 06 (नया रा.रा. 53) का आरंग से सराईपाली (उड़ीसा सीमा) तक पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन को 4–लेन की सड़क में पुनरूद्धार एवं उन्नयन कार्य करने की योजना है इसकी कुल लम्बाई 150.40 कि.मी. है वर्तमान में आर.ओ.डब्ल्यू. 24 मी./37 मी. है एवं प्रस्तावित आर.ओ.डब्ल्यू 45 मी./ 60 मी. है प्रस्तावित 4–लेन में 4.5 मी. के केन्द्रीय मध्य के साथ किसी भी तरफ 2 मी. जमीनी शोल्डर वाला 8.75 मी. का वाहन मार्ग बनाये जाने का प्रावधान है इसमें छोटे एवं बड़े पुल, पुलियों की संख्या–125 है, अण्डरपास–24, फ्लाईओवर–1, सर्विस रोड–12 कि.मी., वृहत् जंक्शन–14, छोटे जंक्शन–101, बसमार्ग–26, ट्रकमार्ग–10, टोलप्लाजा–2, हैलीपैड–2 बनाने प्रस्तावित है साथ ही सराईपाली, बसना, सांकरा एवं जोंक नदी, पिथौरा, तुमगॉव, महानदी–घोड़ारी, बिरकोनी तथा आरंग जैसे बसाहट वाले इलाकों में बायपास का प्रावधान है जिसकी कुल लम्बाई 28.975 कि.मी. है प्रस्तावित रोड के 10 कि.मी. अध्ययन क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं संवेदनशील स्थल, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं पाया गया है निकटवर्ती जल स्त्रोत के रूप में महानदी एवं जोंक नदी है परियोजना के चार–लेन बनाने में लगभग–112 गॉव प्रभावित हो रहे है जिसमें शासकीय भूमि 135 हेक्टेयर, निजी 279 हेक्टेयर, वन भूमि (आरक्षित एवं संरक्षित) 77.22 हेक्टेयर तथा राजस्व वन भूमि 24.03 हेक्टेयर अर्थात् कुल 515.25 हेक्टेयर भू–अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है इस परियोजना के निर्माण में लगभग 51,030 पेड़ काटे जायेंगे, जिसकी भरपाई के लिए लगभग दोगुने 1,10,000 वृक्ष लगाये जायेंगे, जिससे कि वातावरण संतुलित रहे। महासमुंद जिले में प्रस्तावित राजमार्ग की लम्बाई 141.9 किलोमीटर होगी, इस हेतु शासकीय भूमि 118.6 हेक्टेयर, निजी भूमि 253.29 हेक्टेयर, वन भूमि (आरक्षित एवं संरक्षित) 77.22 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 24.03 हेक्टेयर कुल 472.60 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिगृहित की जावेगी। परियोजना से महासमुंद जिले के 106 गांव प्रभावित होंगे। रोड के बीच में मेडियन प्लान्टेशन तथा दोनों किनारे में एवेन्यु प्लान्टेशन भी किये जाने का प्रावधान है जिससे ध्वनि, वायु एवं जल प्रदुषण से बचा जा सके।

4. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 श्री मनोज मिश्रा, ग्राम उतेकेल ने कहा कि–प्रस्तावित फोरलेन के संबंध में आम नागरिकों में ऊहापोह की स्थिति है हाल ही में हुये सर्वे में सांकरा हेतु प्रस्तावित रोड दक्षिण दिशा में और पहले हुये सर्वे में रोड उत्तर दिशा की ओर बताया

गया था। यह बतायें कि, रोड किस दिशा में प्रस्तावित है

2 डॉ0 हेमन्त कौशिक, ग्राम भगतदेवरी ने कहा कि–दैनिक भास्कर में जिस जमीन अधिग्रहण के लिए सूचना प्रकाशित की गई थी उसमें भगतदेवरी के खसरा नं. 252 का संपूर्ण रकबा 4000 वर्ग मी. होता है उसको निजी कृषि योग्य भूमि प्रकाशित किया गया था। इसके लिए माननीय एस.डी.एम. महोदय को दावा आपत्ति के समय आवेदन लगाया है, जबकि वहॉ पर कृषि योग्य भूमि नहीं है 30–40 वर्षों से वह आबादी है और मकान बने हुए है। सभी ने उस पर दावा आपत्ति के लिए माननीय एस.डी.एम. महोदय, पिथौरा को आवेदन लगाये है। क्या इसका निराकरण किया गया, इसकी जानकारी देने की कृपा करें। भगतदेवरी में घर बसाहट के लिए शासकीय भूमि नहीं है, तब दोनों ओर कितनी भूमि अधिग्रहित की जा रही है उन्होने कहा कि भगतदेवरी में भूमि अधिग्रहण कम से कम किया जावे, जिससे व्यापारीगण वहां बाद में अपना मकान बना सकें। तीसरी जानकारी ये चाहिए कि निजी पक्के एवं कच्चे मकान का मुआवजा किस दर से दिया जायेगा।

3 श्री जयप्रकाश मिश्रा, ग्राम खुरसीपहार ने कहा कि–ग्राम पंचायत खुरसीपहार के आश्रित ग्राम साल्हेतराई के रोड किनारे बने हुये मकान टूटने की स्थिति में करीब दस परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावितों को उनकी बसाहट के लिये शासकीय जमीन दी जानी चाहिये।

4 श्री राजेश कुमार, ग्राम सांकरा ने जानना चाहा कि–फोरलेन पर पुल कहां पर बनेगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि फोरलेन के निर्माण कार्य में समय लगना संभावित है, अतः जो सड़के खराब हो गईं है, उसे जल्दी सुधारा जावे।

5 श्री गजेन्द्र चौधरी, सांकरा ने कहा कि–दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित भूमि अधिग्रहण की सूचना में सांकरा से जाने वाली सड़क किस ओर प्रस्तावित है, इसका उल्लेख नहीं है जोंक नदी सांकरा से लगी हुई है, यहां फोरलेन के आजू–बाजू नाली का निर्माण किया जाना आवश्यक है नहीं तो पानी का भराव होगा।

6 श्री मृत्युन्जय पटेल, ग्राम सागुनढाप ने पूछा कि–प्रस्तावित फोरलेन हेतु भूमि अधिग्रहण का मुआवजा किस दर से और कितने दिनों में प्रदान किया जायेगा। ग्राम पंचायत सागुनढाप के ग्रामीणों की मांग है कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा न दिया जाकर अधिगृहित जमीन के बदले जमीन दी जावे।

7 श्री सुरजीत सिंह छाबड़ा, ग्राम सांकरा ने सुझाव दिया कि–प्रस्तावित बाईपास की उंचाई जोंक नदी के पुल की उंचाई के हिसाब से रखी जावे, नहीं तो बाढ़ में आस–पास के क्षेत्र में जोंक नदी का पानी फैल सकता है, और पास के गांव के भी डुबने का खतरा रहेगा, क्योंकि बाढ़ आने पर जोंक नदी में पानी बढ़ने से छोटे नाले का पानी करीब चार–पांच किलोमीटर तक फैल जाता है और उसकी

ऊँचाई 8—10 फीट रहती है

8 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि—हमारी परियोजना उड़ीसा बार्डर से शुरू होकर आरंग तक समाप्त हो जाती है जब आप उड़ीसा बार्डर से आरंग की तरफ जायेगें तो उसके बायें हाथ में सांकरा बाईपास बनेगा और यह बाईपास जोंक नदी के दाहिने साईड मे करीब 50—60 मीटर जाने पर डाई पोल, टावर एवं वॉटर टैंक मेन हाईवे पर बसाहट से लगभग 200 मीटर आगे जाकर पेट्रोल पम्प के पास निकलेगी।

9 श्री मनोज मिश्रा, ग्राम उतेकेल ने पूछा कि—पेट्रोलपम्प के आगे कि पेट्रोलपम्प के पीछे।

10 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि—पेट्रोलपम्प से थोड़ा सा आगे।

11 श्री मनोज मिश्रा ग्राम उतेकेल ने पूछा कि—बाईपास हेतु दो जगहों का चुनाव हुआ था। पहला लोकेशन पेट्रोल पम्प से 100 मीटर पहले था और वर्तमान लोकेशन पेट्रोल पम्प से 100 मीटर दूर हुआ है तो क्या पेट्रोलपम्प से 100 मीटर दूर वाला है

12 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि—हां पेट्रोल पम्प से 100 मीटर दूर वाला है

13 श्री मनोज मिश्रा ग्राम उतेकेल ने कहा कि—जी यही जानना चाहता था। धन्यवाद।

14 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि—दूसरा प्रश्न दैनिक भास्कर में प्रकाशित सूचना के संबंध में पूछा गया था। इस संबंध में उन्होने बताया कि भगतदेवरी में जिस जमीन अधिग्रहण के लिए प्रकाशन हुआ था उसमें भूमि की प्रकृति और प्रकार मे थोड़ी गलतियां हुई है। जमीन का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत् होना है जमीन अधिग्रहण करने के लिए दो कानून है — पहला भूमि अधिग्रहण नियम 1894 और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956। जब राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया जाता है तब इसमें हम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का उपयोग करते है। इसमें पहली प्रक्रिया 3 'ए' के तहत् यह बतलाया जाता है, कि हम अमुक—अमुक खसरे से इतनी जमीन चाहिए, जिसका केन्द्रीय सरकार के गजट में प्रकाशन कराया जाता है और स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से इसकी सूचना दी जाती है, कि अमुक जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है और जिस दिन समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन होता है उस दिन से 21 दिवस के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। भगतदेवरी के संबंध में 3 'ए' की त्रुटि की बात आप लोग कर रहे है, इसके संबंध में आप सभी लोगों ने अपना

अभ्यावेदन प्राधिकृत अधिकारी को दिया है उन्होने बताया कि सूचना प्रकाशन में जो कुछ गलतियां हो गईं है उसमें सुधार किया जा सकता है राजस्व अभिलेख के अनुसार जो सहीं होगा, वही मान्य होगा। यदि राजस्व अभिलेख में लिखा हुआ है कि जमीन कृषि नहीं आबादी है तो वो आबादी रहेगी और जो आबादी रहेगी उसी पर मुआवजा दिया जायेगा। इसलिए कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। आप लोगों के द्वारा अभ्यावेदन दे दिया गया है और उसी के अनुसार उसकी सुनवाई कर ली गयी है, और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इसमें उचित सुधार कर दिया गया है। आप इसके लिए चिन्तित न हों। जिसकी जमीन जिस रूप में है, उसके अनुरूप ही मुआवजा मिलना है, और वह सही तरीके से आपको मिल जायेगा। एक और बात पूछी गई है कि पट्टे के कच्चे तथा पक्के मकान का मुआवजा किस तरह मिलेगा। शासकीय जमीन पर पट्टा सरकार द्वारा दिया जाता है और जमीन सरकार की होती है और उस जमीन पर रहने का अधिकार व्यक्ति को दिया जाता है, उस जमीन पर आपने मकान बनाया, उसमें जो खर्च आया, इस अधिनियम के तहत यह नियम है कि आपको उतना ही मुआवजा मिलेगा जितना आपने मकान बनाने मे खर्च किया है मकान बनाने में जो भी खर्च हुआ है वह समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के दिनांक की दर से दिया जाता है मकान का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसके आधार पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है और मुल्यांकन कराने के बाद जो योग है उस पर 10 प्रतिशत जोड़कर मुआवजे की राशि दी जाती है श्री जयप्रकाश मिश्रा, खुर्सीपहार का भी इसी तरह का प्रश्न है कि प्रस्तावित फोरलेन के निर्माण से साल्हेतराई के जो मकान टूटेंगे उसके प्रभावितों के लिये शासन के द्वारा रहने की क्या व्यवस्था की जायेगी। इस विषय के संबंध में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो अधिनियम है उसमे जिस जमीन का अधिग्रहण होता है, जो मकान तोड़ा जाता है, उसके लिए सिर्फ जमीन और मकान का मुआवजा दिया जाता है, जमीन और मकान का सिर्फ मुआवजा ही मिलता है जमीन के बदले जमीन नहीं दी जाती है और इस तरह का कोई प्रावधान नही है एक प्रश्न था कि सांकरा, जोंक नदी पर जो सड़क बन रही है और बाईपास जब बन जायेगा और पुरानी सड़क काफी जर्जर स्थिति में है इसका सुधार कैसे किया जायेगा। इस संबंध में उन्होने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग–6 सड़क मंत्रालय के अन्तर्गत है और उन्ही के देखरेख में ये सड़क अभी चल रही है मरम्मत का कार्य उन्ही के द्वारा किया जा रहा है अभी तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नहीं सौंपा गया है। जिस दिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आधीन आ जायेगा, उस दिन से निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सिर्फ ये ही सुधार किया जा सकता है कि इस सड़क पर आवागमन जारी रहे चूंकि हम इस इस सड़क के स्थान पर नया रोड़ बना रहे है इसलिए उसमें ज्यादा पैसा खर्च करने का प्रावधान नहीं होता है। श्री गजेन्द्र चौधरी ने प्रश्न किया है कि सांकरा से नाली का निर्माण कैसे होगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि बाईपास के निर्माण के दौरान रहवासी क्षेत्र, बसाहट वाले स्थान पर सर्विस रोड का निमार्ण किया जायेगा और सर्विस रोड के बगल में एक नाली का भी निर्माण होगा। नाली का निर्माण रोड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है यदि स्थानीय निवासियों की कुछ समस्या है, पानी की कोई समस्या है तो इसका

निराकरण संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है हम जो भूमि ले रहे है वो 60 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू. का है हम 60 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू. के अन्दर जो व्यवस्था करते है वह आपकी अधिकतम सुविधा को ध्यान में रखते हुए करते है। सागुनढाप से मुआवजा के संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि, मुआवजा किस तरह से और कब दिया जायेगा। मुआवजा देने के प्रावधान के तहत् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में भूमि अधिग्रहण करने के लिये पहले प्रक्रिया 3 'ए' होती है इस प्रक्रिया में यह प्रावधान है कि जिस दिन समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन होता है, जैसे मान लीजिये कि सूचना का प्रकाशन आज हुआ है तो आज की स्थिति में यहां का एस.ओ.आर. अर्थात अनुसुचित दर के आधार पर मकान का मुआवजा बनाया जाता है और जमीन का मूल्यांकन छत्तीसगढ़ राज्य शासन की गाईड लाईन के आधार पर किया जाकर जमीन का मुआवजा बनाया जाता है मुल्यांकन कराने के बाद जो योग है उस पर 10 प्रतिशत जोड़कर मुआवजे की राशि दी जाती है एक अन्य प्रश्न था कि बाईपास के बाद रोड की उंचाई क्या होगी। इस संबंध में श्री सुरजीत सिंह छाबड़ा, ग्राम सांकरा द्वारा बताया गया कि बारिश के समय जोंक नदी के पुल के ऊपर 7–8 फीट पानी आ गया था। इस संबंध में उन्हाने कहा कि जोंक नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है इसके साईड में हम ऊंचा पुल बनायेगें, जिसे हाई लेबल ब्रिज कहते है और इसे इस तरह से बनाया जायेगा कि इसमे कभी भी पानी नहीं आयेगा। पुल की उंचाई निर्धारित करने के लिये वर्तमान आंकड़ों के साथ विगत 25 साल का आंकड़ा लिया जाता है जिसका सर्वेक्षण करके ही ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और वह पुल बहुत ही अच्छा होगा, और आने जाने में कभी भी असुविधा नहीं होगी। जहां पर पुल होता है उसके करीब 200 मीटर तक की उंचाई पुल की उंचाई के लगभग बराबर रखी जाती है, उसके बाद धीरे–धीरे उंचाई को एक लेबल में कर दिया जाता है वर्तमान में जो उंचाई है उससे लगभग डेढ़ मीटर ऊंचाई अधिक हो जायेगी। चूंकि रोड को एक समान लेबल में रखा जाता है और उसी तरह उसको बनाया जाता है जमीन की सतह कम होने पर मिट्टी का भराव ज्यादा करना होगा, और जहां पर जमीन की सतह उंची होगी उस स्थान पर भराव कम किया जायेगा, लेकिन सड़क का लेबल एक समान ही रखा जाता है, जिससे कि किसी भी वाहन को चलाने में कोई दिक्कत न हो, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट न हो, कोई असुविधा न हो।

15 श्री गजेन्द्र चौधरी, सांकरा ने कहा कि–सांकरा ग्राम में पूर्व में जो अधिग्रहण धारा 4,5,9 के तहत किया जा चुका है उसमें सिर्फ सांकरा का एक ही मकान जा रहा था ट्यूबवेल नहीं जा रहे थे। वर्तमान में जो सर्वे कर रहे है उसमें बहुत मकान एवं ट्यूबवेल भी जा रहे है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए मैं लिखित में आवेदन दिया हूं।

16 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि–जो भी एलाईनमेंट फिक्स किया जाता है उसे रोड बनाने का एलाईनमेंट कहते हैं। इस एलाईनमेंट में स्पीड का भी ध्यान रखा जाता है यदि आप किसी स्थान पर एक छोटा कर्व बनायेंगे तो इसका प्रभाव आगे के दो किलोमीटर और पीछे के दो

किलोमीटर तक पड़ता है प्रस्तावित फोरलेन 100 किलोमीटर प्रति घण्टा के हिसाब से डिजाईन किया जायेगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को बनाये रखने के लिये इस तरह का एलाईनमेंट देखना होता है, जिसमें किसी तरह का कोई एक्सीडेंट न हो। अभी जो एलाईनमेंट बनाया जा रहा है वह निर्धारित हो चुका है और इस संबंध में आगे तक की कार्यवाही हो चुकी है, अब हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते है।

17 डॉ0 हेमन्त कौशिक, ग्राम भगतदेवरी ने कहा कि–भगत देवरी के बारे में मैने प्रश्न किया था कि दोनो साईड कितने मीटर जमीन अधिगृहित की जायेगी, बीच रोड से कितने मीटर बाईं ओर और कितने मीटर दाईं ओर जमीन का अधिग्रहण किया जावेगा।

18 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि–भगतदेवरी की सड़क प्रॉपर शेप में नहीं है, एलाईनमेंट सहीं नहीं है इसे एक जैसा शेप देना होता है, सही एलाईनमेंट देना होता है, इसके लिए हो सकता एक ओर भूमि का अधिग्रहण अधिक करना पड़े और दूसरी तरफ कम। मोटे तौर पर यह समझ सकते है कि एक ओर लगभग 28 से 30 मीटर और दूसरी तरफ 15 से 17 मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।

19 डॉ0 हेमन्त कौशिक, ग्राम भगतदेवरी ने पूछा कि वर्तमान सड़क के मध्य से अथवा जो सड़क प्रस्तावित है उसके मध्य से।

20 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि–वर्तमान सड़क से, वर्तमान सड़क के किनारे से न कि मध्य से। रोड के किनारे से एक ओर 30 मीटर तो दूसरी ओर लगभग 15–17 मीटर तक रोड का विस्तार किया जाना संभावित है तथ्यात्मक रूप से इसलिए नही बताया जा सकता क्योंकि वर्तमान सड़क का आकार एक जैसा नहीं है।

21 डॉ0 हेमन्त कौशिक ग्राम भगतदेवरी के कहा कि भगतदेवरी में कोई शासकीय भूमि नहीं है, तो भगतदेवरी में एक ओर 30 मीटर और दूसरी ओर 15–20 मीटर विस्तार करना है, तब सिर्फ रहवासी क्षेत्र में क्या वह दूरी कम हो सकती है, 30 मीटर के स्थान पर 20 मीटर या 15 मीटर स्थिति का आकलन करते हुये।

22 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि–जो भी निर्माण कार्य किया जाता है, वह नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये किया जाता है बसाहट वाली जगह पर सर्विस रोड का भी प्रावधान करना होता, यदि जमीन का विस्तार (अधिग्रहण) कम किया जायेगा तो सर्विस रोड के लिए जमीन कम पड़ जायेगी। इसलिये सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुये आप सभी लोगों को इसमें सहयोग करना होगा कि, जितनी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उतनी जमीन दी जावे और इस संबंध में कार्यवाही केन्द्र सरकार तक की जा चुकी है।

23 डॉ0 हेमन्त कौशिक ग्राम भगतदेवरी ने कहा कि भगतदेवरी में चौक है, जहां पर भीड़—भाड़ रहती है क्या वहां फ्लाई ओवर प्रस्तावित है।

24 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि—नहीं। जहां फ्लाईओवर नहीं बनाया जाता वहां पर यदि मेन रोड पर कोई रोड आकर मिलती है, तो उस स्थान पर अण्डरपास का निर्माण किया जाता है इसलिए आप लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। सभी बातों को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार किया जाता है, इसलिए आप इन सब चीजों के लिये परेशान न हो फिर भी आपकी जो भी समस्या है, तो आप उसकी जानकारी आवश्य ले सकते है।

25 श्री राजेश कुमार, ग्राम सांकरा ने जानना चाहा कि—फोरलेन का काम कब से शुरू होगा और इसके पूरे होने की समय सीमा क्या है।

26 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि—जिस समय से जमीन मिल जायेगी, उसी के अनुसार शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ किया जायेगा। संपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने में जमीन अधिग्रहण के पश्चात 30 महीने का समय लगना संभावित है इसमें सबसे बड़ा रोल आपका और राज्य सरकार का है जमीन या मकान के अधिग्रहण के समय आप लोग इसमें सहयोग करेंगे तो निर्माण कार्य समय से हो जायेगा।

27 श्री आनन्द अग्रवाल,ग्राम गुडारी ने पूछा कि—फोरलेन, महासमुंद रोड को क्रॉस करेगी, अतः क्या वहॉ पर ओवरब्रिज बनाने की व्यवस्था है ?

28 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि—महासमुन्द रोड नेशनल हाइवे क्रमांक 353 हो चुका है, पहले यह राजमार्ग क्रमांक 217 था। पुराने पुल के दाहिने तरफ एक नया पुल बनाया जा रहा है इस पुल के बाद एक घुमाव है, जहॉ गुडारी पर 100 मीटर बाद तक एक फ्लाईओवर का प्रावधान है जिसके साथ सर्विस रोड भी बनाई जावेगी, ताकि महासमुंद से आने वाले राहगीर सर्विस रोड से होते हुए फोरलेन पर आ सके।

29 श्री आनन्द अग्रवाल—प्रस्तावित फ्लाईओवर की उंचाई कितनी होगी।

30 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि—फ्लाईओवर की उंचाई लगभग 20 फिट के आसपास होगी व ओपनिंग 20 फिट होगी।

31 श्री आनन्द अग्रवाल—फोरलेन के आसपास खेत है व एच.पी. के पेट्रोल पम्प से इस पार से उस पार तक फोरलेन निकल रही है किसानों को इस पार से उस पार तक आने—जाने व ट्रेक्टर के आने जाने की क्या व्यवस्था रहेगी।

32 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि—सर्विस रोड

के माध्यम से ही किसान अपने खेतों पर आ जा सकेंगे।

33 श्री आनन्द अग्रवाल–फोरलेन बनने के बाद पानी निकासी की क्या व्यवस्था रहेगी।

34 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–पानी आस–पास के ट्रैक माध्यम से खेतों में जा सकेगा।

35 श्री आनन्द अग्रवाल–ट्यूबवेल के एक साईड में 4 एकड़ व दूसरे साईड में 8 एकड़ भूमि बच रही है यह पूरा क्षेत्र सूखा है, केवल 2 प्रतिशत बोर सक्सेज है पानी को इस साईड से दूसरे साईड ले जाने के लिये क्या कोई आवेदन लगाया जा सकता है ?

36 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–यदि रोड पर स्टीम निर्मित है तो ऐसी जगह पर पुलिया का निर्माण किया जाता है लोकेशन अनुसार जहॉ पुलिया की जरूरत होगी वहॉ पुलिया का निर्माण किया जायेगा। यदि आप को आवश्यकता पड़े तो निर्माण कार्य के समय आप संपर्क कर सकते है स्थिति देखने पर ही आपको सही जवाब देना उचित होगा।

37 श्री आनन्द अग्रवाल–भूमि खाली करने व भूमि अधिग्रहण करने की बात कही जा रही है, मुआवजे का क्या प्रावधान है

38 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–यह अधिनियम के तहत होता है और इस अधिनियम मे पहले प्रावधान 3ए के तहत् यह बताया जाता है कि हम आपकी जमीन लेने जा रहे है और इस पर आप 21 दिन के अन्दर में आपत्ति दर्ज करा सकते है। सक्षम प्राधिकारी उसका विधिक रूप से निराकरण करते है उसके बाद 3डी होता है जिसमें पुरी तरह से जमीन केन्द्र सराकार का होना माना जाता है। जिस दिन हम 3डी कर देते है उस दिन से वह जमीन विधिक तौर, कानूनी तौर पर केन्द्र सराकार की हो जाती है। कब्जे के लिये 3जी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिस तिथि में समाचार पत्र में प्रकाशन होता है उस तिथि पर सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है तथा राशि भुगतान टैक्स काटकर किया जाता है।

39 श्री आनन्द अग्रवाल ग्राम गुडारी ने कहा कि–गाईड लाईन से +10 प्रतिशत।

40 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि–बस इसी तरह मुआवजा का निर्धारण होता है।

41 श्री आनन्द अग्रवाल, ग्राम गुडारी ने कहा–ठीक, धन्यवाद सर।

42 श्री जगदीश माझी, ग्राम खुटेला ने पूछा कि–शहर व गॉव का मुआवजा एक ही मिलेगा अथवा कम मिलेगा।

43 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने कहा कि जैसे गाईड

लाईन निर्धारित होता उसी तरह मिलेगा। गाईड लाईन सरकार द्वारा बनाई जाती है, उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जमीन की वैल्यु कहां क्या होगी। यहॉ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस लोकेशन का भाव क्या होना चाहिये। उसी निर्धारण के आधार पर मूल्यांकन होता है।

44 श्री जगदीश माझी, ग्राम खुटेला ने पूछा कि–जिस स्थान से रोड गुजर रही है, क्या वहॉ का रेट बढ़ा है।

45 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–जब रोड बनती है तो वैल्यु बढ़ जाती है, लेकिन मुआवजा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दर से ही मिलेगा। यह एक प्रक्रिया है यह रोज बदली नहीं जा सकती। गाईड लाईन के आधार पर ही मुआवजा मिलेगा।

46 श्री बी. पंचभाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिथौरा ने बताया कि–सब रजिस्ट्रार कार्यालय में मूल्य निर्धारण हेतु गाईड लाईन होती है, कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते है। ये कीमत निर्धारित करते है। उसी मान से मुआवजा दिया जाता है।

47 श्री जीवराखन लाल साहू, ग्राम बिरकोनी ने पूछा कि–जहां से फोरलेन निकल रही है, वहां बीचो–बीच मेरा खेत, ट्यूबवेल एवं मकान आ रहा है तथा 100–150 वृक्ष लगे है उनका क्या होगा।

48 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–फोरलेन निर्माण में प्रभावित होने वाले खेत, ट्यूबवेल एवं मकान तथा वृक्ष आदि जितनी भी परिसंपत्ति है उसका मूल्यांकन होता है और पूरी संपत्ति का मुआवजा दिया जायेगा।

49 श्री जीवराखन लाल साहू–प्रभावित झाड़ एवं वृक्षों का कितना मुआवजा मिलेगा।

50 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–प्रभावित झाड़ या पेड़ है उनका वन विभाग से मूल्यांकन करवाया जाता है व मूल्यांकन अनुसार राशि दी जायेगी।

51 श्री गोपी सोनी, आरंग ने पूछा कि–सरायपाली से आरंग तक जो भी देव स्थल है, उनका क्या होगा।

52 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि– माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अनाधिकृत रूप से बने मन्दिर तोड़े जाने या हटाये जाने पर उसे दूसरी जगह पर बनाये जाने सरकारी स्तर पर कोई प्रावधान नहीं है।

53 श्री गोपी सोनी ने पूछा कि–आरंग में बाईपास बनने से सिटी के रोड का

चौड़ीकरण होगा कि नहीं।

54 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–आरंग के अन्दर से चारलेन बनाया जाना संभव नही है क्योंकि हमें 60 मीटर या लगभग 200 फीट चौड़ी जमीन चाहिये। जिसके लिये आरंग की सारी बसाहट टूट जायेगी। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए बाईपास प्रस्तावित किया गया है।

55 श्री गोपी सोनी आरंग ने पूछा कि–जैसे आपने बताया टोल प्लाजा, टोल प्लाजा दो कहां पर बनेगा। एक तो रसनी में है।

56 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–टोल प्लाजा जो रसनी में है वह रसनी से लेकर टाटीबन्ध तक के प्रोजेक्ट के लिये बन रहा है अभी जो आरंग से लेकर उड़ीसा बार्डर तक जो फोरलेन बनाया जा रहा है उस 150 किमी. क्षेत्र के भीतर दो जगह टोल नाका होगा। पहला टोल सरायपाली का एक गॉव छुईपाली के पास होगा एवं दूसरा महासमुन्द और पिथौरा के बार्डर पर स्थित ढांक और कसीहीबहरा गॉव में होगा।

57 श्री गोपी सोनी–सरायपाली से राजधानी जाते हैं तो सरायपाली में पटाना पड़ेगा, आरंग में पटाना पड़ेगा, टाटीबंध में पटाना पड़ेगा कि कुम्हारी में भी पटाना पड़ेगा।

58 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–जो भी रोड प्रोजेक्ट बनता है वो फेज वाईज बनता है। जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वह फेज वाईज हो रहा है जितने फेज के लिए रोड बनाया जाता है उतने पर टोल का जो दर होता है वह लगता है यदि आप सरायपाली से आरंग तक जायेंगे यदि आप दोनो नाका से पास करेगें तो आपको दोनो नाका से टोल पटाना पड़ेगा और इसके अलावा और आगे आप जहॉ भी जायेंगे तो उसका टोल पटाना पड़ेगा।

59 श्री मनोज मिश्रा, ग्राम उतेकेल ने पूछा कि–वर्तमान स्थिति में पर्यावरण का जो संतुलन है परसेन्टेज में कितना है और उसके बाद जब कार्य प्रारंभ होगा और पेड़–पौधे कट जायेगें तो उस समय पर्यावरण के संतुलन का परसेन्टेज क्या रहेगा।

60 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण निर्धारित मानकों के अंदर है सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। पेड़ कटने पर जो असंतुलन होगा उसकी भरपाई के लिये दो से तीन गुने वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जायेगा ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही परियोजना बनाई जाती है।

61 श्री मनोज मिश्रा ने सुझाव दिया कि–जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाने

वाली ई.आई.ए. रिपोर्ट अंग्रेजी में होती है उसे हिन्दी में उपलब्ध कराया जावे।

62 श्री रामप्रीत पासवान प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. ने बताया कि–ई.आई.ए. रिपोर्ट की संक्षेपिका जो कि पूर्णतः हिन्दी होती है, वह भी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाती है बहुत सी टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में होती है जिससे कि हिन्दी में बनाया जाना फिलहाल संभव नहीं है अतः हिन्दी अनुवादित ई.आई.ए. रिपोर्ट की संक्षेपिका से समझा जा सकता है कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया कि भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भू–स्वामी के परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी दिये जाने का प्रवधान है अथवा नहीं। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत् नौकरी देने का प्रावधान नहीं है केवल मुआवजा देने का प्रावधान है

अपर कलेक्टर, जिला महासमुंद ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन निर्माण के लिए अभी आप लोगों के समक्ष जो जन सुनवाई रखी गई थी, इस संबंध में नागरिकों से सुझाव और सलाह हमें प्राप्त हुये हैं और कुछ प्रश्न भी पूछे गये हैं, जिसके संबंध में कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग ने आप लोगों को जानकारी दी और आप लोगों का सुझाव रिकार्ड किया गया है। जो लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं उसे भी रिकार्ड किया गया है। प्राप्त अभ्यावेदन, सुझाव, आपत्तियों आदि को लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जायेगा। आज आप लोगों ने इस जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो सहयोग दिया और सुनवाई को सफल बनाया उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई है। लोकसुनवाई के दौरान कुल 05 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

अपर कलेक्टर
महासमुंद, जिला महासमुंद (छ.ग.)